न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 112/2023 (RCMS : 2023/218)

हरप्रीत सिंह पुत्र बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी चक 9 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. **गुरजन्ट सिंह** पुत्र जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **नरेन्द्रपाल सिंह** पुत्र जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **गुरनाम सिंह** पुत्र चनण सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. **आशावीन कौर** पुत्री जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. **कुलदीप कौर** पुत्री जीत सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. **जसवीर सिंह** पुत्र हरी सिंह जाति रायसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. **दिलबाग सिंह** पुत्र हरगुलाल सिंह जाति रायसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. **सतनाम सिंह** पुत्र हरी सिंह जाति रायसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. **अजीतपाल सिंह** पुत्र हरगुलाल सिंह जाति रायसिख निवासी 11 जैड़ तहसील व जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.04.2024

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 59/2023 अनवानी गुरजन्ट सिंह वगै. बनाम हरप्रीत सिह वगै. अन्तर्गत धारा [illegible] (ए) आर टी एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के स्थानान्तरण होने के कारण उनका मुंतकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 59/2023 अनवानी गुरजन्ट सिंह वगै. बनाम हरप्रीत सिह वगै. अन्तर्गत धारा 251(ए) आर टी एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.04.29 17:20:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर